Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Joint Secretary (AT&A), Department of Personnel & Training – Chairperson (2) Director, Department of Personnel & Training – Member (3) Director (Admn.), Ministry of Home Affairs – Member (4) Director (Admn.), Department of Personnel & Training - Member (5) Under Secretary (Admn), Department of Personnel & Training – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/3/2014-Ad.III]

KULBHUSHAN MALHOTRA, Under Secy.

जल संसाधन तथा नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

सा.का.नि. 120.– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन तथा नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में विभागीय कैंटीन स्टॉफ के हलवाई-सह-रसोईया और सहायक हलवाई-सह-रसोईया के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए अर्थात:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, विभागीय कैंटीन स्टाफ, श्रेणी " ग" पदों भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - इस से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों के लिए नियम लागू होंगे।

3. आरंभिक गठन - जो पदधारी इन नियमों के प्रारंभ से पहले नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसा समझा जाएगा कि वह सेवा में संबंधित पद, ग्रेड और कैडर में इन नियमों के तहत नियुक्त किया गया है और उनकी सेवा परिवीक्षावधी, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा की पेंशन के लिए गिनती की जायेगी ।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .– भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता - वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

7. शिथिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य व्यक्तियों के आरक्षण, आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. हलवाई-सह- रसोईया	*2 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
6
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं :	सीधी भर्ती के लिए उम्र और योग्यता निर्धारित पदोन्नति के मामले में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण या समतुल्य ii. मान्यता प्राप्त संस्था से खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र iii. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्ध सरकारी/ कानूनी निकाय/ स्वायत्त संस्था/सोसायटी में सहायक हलवाई सह रसोईया के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; और iv. स्वच्छता का रखरखाव आदि सहित खाना पकाने का कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। **टिप्पण 1 :-** कैंटीन में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, स्थानीय रोजगार कार्यालय और केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों और विभागों, जहां विभागीय कैंटीन कार्य कर रही हैं, वहां एक साथ परिचालित की जाएगी। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबंधि अर्हता/अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत ।	**प्रोन्नति :** वेतनमान रु. 5200-20200 और रु.1900/- ग्रेड वेतन में सहायक हलवाई सह रसोईया में तीन वर्ष की नियमित सेवा । **टिप्पण** :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर क्षेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि के संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर// कानूनी निकाय /स्वायत्त संस्था के अधिकारी – (i) नियमित रूप के आधार से सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतनमान रु. 5200-20200 और रु.1900/- ग्रेड वेतन में सहायक हलवाई सह रसोईया में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारियों, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि के अनुबंध सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि के अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
परिवीक्षावधि और स्थायीकरण के लिए समूह `ग' 'विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नालिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर निदेशक या वैज्ञानिक "ई" केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक "डी" या वैज्ञानिक "सी" केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला - सदस्य 3. समूह ' क' अधिकारी, केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग से - सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक हलवाई-सह- रसोईया	*1 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन 1900/- रु.	लागू नही होता

(6)
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : i. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण या समतुल्य ii. मान्यता प्राप्त संस्था से खान-पान में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र iii. मान्यता प्राप्त संस्था या कैंटीन में चाय और कॉफी बनाने का एक वर्ष का अनुभव iv. स्वच्छता का रखरखाव आदि सहित खाना पकाने का कौशल परीक्षण संचालन किया जाएगा **टिप्पण 1** :- अनुभव संबंधि अर्हता/अर्हताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **टिप्पण 2 :-** कैंटीन में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां, स्थानीय रोजगार कार्यालय और केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों और विभागों, जहां विभागीय कैंटीन कार्य कर रही हैं, वहां एक साथ परिचालित की जाएगी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
100% सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नही होता	परिवीक्षावधि और स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर निदेशक या वैज्ञानिक "ई" केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक "डी" या वैज्ञानिक "सी" केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला - सदस्य 3. समूह 'क' अधिकारी, केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग से -सदस्य 4.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 2/01/2006-स्था.II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 28th June, 2016

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Halwai-cum-Cook and Assistant Halwai-cum-Cook of Departmental Canteen Staff in Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune the Departmental Canteen Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed thereto.

3. Initial constitution.—The incumbent who has been appointed on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the correspondent post, grade and the cadre in the service and his service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

4. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Halwai-cum-cook	2* (2016) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group "C" non- Gazetted non-Ministerial.	PB-1, Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2000.	Non selection.	18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in case of general candidates and 45 years in case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1.** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except for closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of

					Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption, and percent of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
i. 10th Class Pass from a recognised Board or equivalent. ii. certificate or diploma in catering from a recognised Institute. iii. three year's experience as Assistant Halwai-cum-Cook under the Central Government / State Government / Public Sector Undertaking / Semi Government / Statutory Body/ autonomous Organisation/ Society; and iv. A Skill test for cooking including maintenance of hygienic etc. shall be conducted. **Note 1.** Vacancies for direct recruitment in canteen shall be circulated simultaneously to the local employment exchange and other offices and establishments of the Central Government where Departmental canteens are functioning. **Note 2.** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits only.	Fifty per cent by promotion failing which by deputation and fifty per cent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(11)
Promotion: Assistant Halwai-cum-cook with three years regular service in the scale of Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900. **Note.** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered; provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract) : Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Statutory Body or autonomous Organisation,- (i) holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) Asstt. Halwai-cum-cook with three years regular service in the scale of Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900.

Note 1: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for deputation (including short term contract) is fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee for probation and confirmation consisting of :— 1. Additional Director or Scientist 'E', the Central Water and Power Research Station - Chairman 2. Scientist 'D' or Scientist 'C', the Central Water and Power Research Station - Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government - Member 4. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, Central Water and Power Research Station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Halwai-cum-cook	1* (2016) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group "C" non-Gazetted non-Ministerial.	PB-1 Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900.	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in case of general candidates and 45 years in case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1.** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except for closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: i. 10th Class Pass from a recognised Board or equivalent ii. A certificate/diploma in catering from recognised Institute. iii. One year's experience in Tea or Coffee making in canteen or recognised Institution. iv. A Skill test for cooking including maintenance of hygienic etc. shall be conducted **Note 1.-** The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belong to the Scheduled Castes or Schedules Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to theses communities possessing the requisite experience are not likely to available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 2.-** Vacancies for direct recruitment in canteen shall be circulated simultaneously to the local employment exchange and other offices and establishments of the Central Govt. where departmental canteens are functioning.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group `C' Departmental Promotion Committee for probation and confirmation consisting of.-** 1. Additional Director or Scientist 'E', the Central Water and Power Research Station - Chairman 2. Scientist 'D' or Scientist 'C', the Central Water and Power Research Station - Member 3. A Group 'A' officer from some other Department of the Central Government - Member 4. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, the Central Water and Power Research Station - Member	Not applicable

[F. No. 2/1/2006-E.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

सा.का.नि.121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (कारखाना प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कारखाना प्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कारखाना प्रबंधक भर्ती नियम, 2016 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |